

दिनांक:—11.06.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। 3 बार आवाज लगायी गयी बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं। मूल वाद खारिज हो चुका है। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 22.03.2016 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।